रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062023-246732
CG-DL-E-21062023-246732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, बुधवार, जून 21, 2023/ज्येष्ठ 31, 1945
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 21, 2023/JYAISHTHA 31, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2023

सा.का.नि. 454(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 94 के साथ पठित धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) (संशोधन) नियम, 2023 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 के, नियम 3 के, उप नियम (1) में -

   (i) खंड (घ) में शब्द 'सीधे विक्रेताओं के माध्यम से' के स्थान पर शब्द "सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ii) खंड (छ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(छक) "विक्रेताओं के नेटवर्क" से किसी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है, जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय से प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए करता है।"

[फा. सं. जे-10/9/2018-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), सा.का.नि. 889(अ), 28 दिसंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2023

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by clause (zg) of sub-section (2) of section 101 read with section 94 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Direct Selling) (Amendment) Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021, in rule 3, in sub-rule(1),-

   (i) in clause (d), for the words "through direct sellers", the words "directly through a network of sellers" shall be substituted;

   (ii) after clause(g), the following clause shall be inserted, namely :-

   '(ga) "network of sellers" means a network of direct sellers formed by a direct selling entity to sell goods or services for the purpose of receiving consideration solely from such sale;'.

[F.No. J-10/9/2018- CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide G.S.R.889(E) dated 28th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA